

पंचायतलय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/6217

दिनांक - 21.07.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गोपाल गौशाला स्टेशन
रोड़ बाड़मेर जरिये अध्यक्ष
शंकर लाल पुत्र रिखबदास
जाति जैन निवासी
कल्याणपुरा, बाड़मेर
तहसील व जिला बाड़मेर

1 अबू बकर वगैराह जाति
मुसलमान निवासी तिरसिंगडी
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 471/2024

दिनांक-16/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श बस्ती विशाला पटवार क्षेत्र विशाला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1143/705 रकबा 11.1693 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 21.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6218-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गोपाल गौशाला स्टेशन रोड़ बाड़मेर जरिये अध्यक्ष शंकर लाल पुत्र रिखबदास जाति जैन निवासी कल्याणपुरा, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अबू बकर वगैराह जाति मुसलमान निवासी तिरसिंगडी तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर